

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

—:मूल वाद में अन्तिम डिक्री:-

(आदेश 20 व नियम 06 एवं 07 जा. दी.)

पीठासीन अधिकारी— श्री राजकेश मीना

आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 43/2018 राजस्व वाद

अनवान

1 छोटु लाल पिता सोहन लुहार उम्र वयस्क निवासी बडला तहसील फुलियाकलां जिला—भीलवाड़ा .....वादी

वनाम

- 1 मु.शीला पत्नि नेमीचन्द रेगर उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फुलियाकलां जिला—भीलवाड़ा
- 2 लादु पिता देवा रेगर उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फुलियाकलां जिला—भीलवाड़ा
- 3 तेजपाल पिता शंकर ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फुलियाकलां जिला—भीलवाड़ा
- 4 कैलाश पिता पन्ना ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फुलियाकलां जिला—भीलवाड़ा
- 5 मु.रामप्यारी पुत्री लक्ष्मीनारायण लुहार उम्र वयस्क निवासी बडला तहसील फुलियाकलां जिला—भीलवाड़ा
- 6 मु.संजू पुत्री लक्ष्मीनारायण लुहार उम्र वयस्क निवासी बडला तहसील फुलियाकलां जिला—भीलवाड़ा
- 7 मु.नन्दु बैवा लक्ष्मीनारायण लुहार उम्र वयस्क निवासी बडला तहसील फुलियाकलां जिला—भीलवाड़ा
- 8 हीरा पिता मांगीलाल लुहार उम्र वयस्क निवासी बडला तहसील फुलियाकलां जिला—भीलवाड़ा
- 9 महावीर पिता मांगीलाल लुहार उम्र वयस्क निवासी बडला तहसील फुलियाकलां जिला—भीलवाड़ा
- 10 मु.नोसर पुत्री मांगीलाल लुहार उम्र वयस्क निवासी बडला तहसील फुलियाकलां जिला—भीलवाड़ा
- 11 मु.कंचन पुत्री मांगीलाल लुहार उम्र वयस्क निवासी बडला तहसील फुलियाकलां जिला—भीलवाड़ा
- 12 मदनलाल पिता सोहन लुहार उम्र वयस्क निवासी बडला तहसील फुलियाकलां जिला—भीलवाड़ा
- 13 रतनलाल पिता सोहन लुहार उम्र वयस्क निवासी बडला तहसील फुलियाकलां जिला—भीलवाड़ा
- 14 मु.गीता पुत्री सोहन लुहार उम्र वयस्क निवासी बडला तहसील फुलियाकलां जिला—भीलवाड़ा
- 15 सत्यनारायण पिता रामस्वरूप लुहार उम्र वयस्क निवासी बडला तहसील फुलियाकलां जिला—भीलवाड़ा
- 16 मु.जमना पिता रामस्वरूप लुहार उम्र वयस्क निवासी बडला तहसील फुलियाकलां जिला—भीलवाड़ा
- 17 मु.सीता पुत्री रामस्वरूप लुहार उम्र वयस्क निवासी बडला तहसील फुलियाकलां जिला—भीलवाड़ा
- 18 मु. बदाम बैवा रामस्वरूप लुहार उम्र वयस्क निवासी बडला तहसील फुलियाकलां जिला—भीलवाड़ा
- 19 मु.शान्ति पुत्री नाथु लुहार उम्र वयस्क निवासी बडला तहसील फुलियाकलां जिला—भीलवाड़ा
- 20 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा

.... प्रतिवादीगण


## वादपत्र अन्तर्गत 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री अनिल शर्मा — वादी अधिवक्ता  
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां— पैरोकार सरकार  
अनुपस्थित — श्री सुनिल कुमार शर्मा  
श्री विष्णु दत्त शर्मा— अधिवक्ता प्रति. 1 से 4

दिनांक 22.12.2021


वाद—पत्र बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 इस प्रकार स्वीकार कर, डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम बडला पटवार हल्का अरवड भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र अरवड तहसील फुलियाकलां स्थित वादी एवं प्रतिवादी संख्या 05 लगायत 19 के पक्ष में संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज खतौनी संख्या 176 के आराजी संख्या 278, 285 किता 2 रकवा 0.51 हैक्टयर भूमि की पुख्ता

—लगातार


  
सहायक क्रलक्टर एवं  
रूप - उम्र - ही  
फुलियाकलां जिला (राज.)

सीमा चिन्हों से नपती की जावे एवं नपती उपरान्त यदि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 05 लगायत 19 के हक स्वागित्त आराजीयात पर प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का कोई अनाधिकृत अतिक्रमण पाया जाता है तो अतिक्रमित भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 05 लगायत 19 को सिपुर्द किया जावे साथ ही वादी एवं प्रतिवादी संख्या 05 लगायत 19 के उपयोग उपयोग में प्रतिवादी संख्या 01 से 04 किसी प्रकार की बाधा अथवा रुकावट उत्पन्न नहीं करें। इस आशय की रथाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगणों को पांचद किया जाता है।

डिक्री की पालना में तहशीलदार फुलियाकलां को कमीशनर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि गौके पर नपती के सम्बंध में पक्षकारान को न्युनतम 3 दिन पूर्व सूचित कर पुख्ता सीमा चिन्हों से नपती की जावे। यदि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 05 लगायत 19 के हक एवं हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या-01 से 04 का कोई अनाधिकृत कब्जा पाया जाता है तो उक्त भू भाग से प्रतिवादी संख्या 01 से 04 को वैदखल कर, कब्जा पुनः वादी को सिपुर्द किया जावे।

  
 सहायक (सहायक) मीना)  
 उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां  
 जिला भीलवाड़ा  
 फुलिया कलां (भा.ब.)

यह डिक्री आज दिनांक 22.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी की गई।

  
 उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां  
 सहायक (सहायक) मीना)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 फुलिया कलां (भा.ब.)